40/2015 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 40/2015 अनवानी जीत सिंह पुत्र प्यारासिंह जाति जटसिख नि0 8 ईईए तहसील पदमपुर बनाम 1–चोखाराम पुत्र कुंभाराम जाति मेघवंशी नि0 8 ईईए (मृत्तक) 1/1.मन्सुखराम पुत्र चोखाराम 1/2.ताराचंद पुत्र चोखाराम 1/3.रेशमीदेवी पुत्री चोखाराम 1/4.रामेश्वरी पुत्री चोखाराम 1/5. धनवन्ती पुत्र चोखाराम जाति मेघवंशी नि0 8 ईईए तह0 पदमपुर 2–महेन्द्रसिंह पुत्र प्यारासिंह जाति जटसिख नि0 8 ईईए हाल नि0 अमेरिका 3–तहसीलदार पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.02.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी जीतसिंह व उसके अभिभाषक श्री कुलविन्द्र सिंह को बार बार आवाज लगवाई गई, किन्तु वे उपस्थित नही आये। अप्रार्थी सं0 1/1से1/5 के अभिभाषक श्री सोमदत्त मुंडावरिया उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री सोमदत्त मुंडावरिया का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर में लम्बित प्रकरण संख्या 3/93 चोखाराम बनाम जीत सिंह अन्तर्गत धारा 183बी आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश किया है और इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.12.2016 के द्वारा अप्रार्थी सं0 2 महेन्द्र सिंह जो कि विदेश में अमेरिका में निवास करता है को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के माध्यम से विदेश से तलब करने के लिए उसके नोटिस व मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्ग्रेजी भाषा में अनुवाद सहित 12.12.2016 तक पेश करने के आदेश दिये गये थे। बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद आज तक पेश नही किये है और न ही प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित आये है। इसलिए इस मुन्तकिली प्रा0 पत्र को खारिज किया जावे।

मैने अप्रार्थी के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर में लम्बित प्रकरण संख्या 3/93 चोखाराम बनाम जीत सिंह अन्तर्गत धारा 183बी आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश किया है और इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.12.2016 के द्वारा अप्रार्थी सं0 2 महेन्द्र सिंह जो कि विदेश में अमेरिका में निवास करता है को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के माध्यम से विदेश से तलब करने के लिए उसके नोटिस व मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्ग्रेजी भाषा में अनुवाद सहित 12.12.2016 तक पेश करने के आदेश दिये गये थे। किन्तु इसके पश्चात दिनांक 13.02.16, 26.12.16, 10.01.17, 18.01.17, 30.01.17, 15.02.17 के अवसर बार बार दिये जाने के बावजूद भी आज तक इस न्यायालय के आदेश दि0 05.12.2016 की पालना नही की गयी है और न ही प्रार्थी व उसके वकील आज उपस्थित आकर कोई कारण बताया है। जिससे प्रतित होता है कि प्रार्थी को इस मामले में कोई दिलचस्पी नही है। इसलिए इस मामले में आगे किसी प्रकार की कार्यवाही जारी रखने की आवश्यकता नही है। अतः इसी आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

40/2016 जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी जीत सिंह द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

460
28-2-17

आदेश आज दिनांक 20.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर